

झारखंड के रामगढ़ सविलि कोर्ट में फॅमिली न्यायालय की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

1 मई, 2023 को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रामगढ़ में कुटुंब कोर्ट की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बंदि

- न्यायाधीश लोलार्क दुबे को कुटुंब कोर्ट का प्रधान जज नयुक्त कया गया है।
- यह कोर्ट सविलि न्यायालय परसिर में ही संचालति होगा। कुटुंब कोर्ट में अब पारवारिक वविद से संबंघति सभी मामलों की सुनवाई होगी।
- वदिति है किरामगढ़ ज़लि में सविलि कोर्ट की स्थापना के समय से ही कुटुंब कोर्ट की स्थापना की मांग की जा रही थी। पछिले दो-तीन वर्षों में इसके लयि ज़लि अधविक्ता संघ, रामगढ़ की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं ज़ोनल न्यायाधीश से पत्राचार कर मांग की जा रही थी जो आज पूरी हुई।
- कुटुंब कोर्ट का न्यायिक कार्य शुरू होने से पारवारिक वविदों के नपिटारे में तेजी आएगी एवं शीघ्र पक्षकार को न्याय मलैगा।
- साथ ही प्रधान ज़लि सत्र न्यायाधीश के यहाँ लंबति पारवारिक मामलों का बोझ कम होगा, जसिसे अब अन्य लंबति मामलों में त्वरति कार्रवाई होगी।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/family-court-started-in-jharkhand-ramgarh-civil-court>